Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 08/April/2023 IJRAW: 2023; 2(5):202-204 Accepted: 19/May/2023

प्राचीन भारतीय समाज में नारी की स्थितिः ऐतिहासिक अध्ययन

*[1]रीता दयाल

*[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, महामाया राजकीय महाविद्यालय, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

नारी का स्थान अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन भारत में विभिन्न स्रोतों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक तरफ तो नारी को जहॉ पूज्यनीय स्वीकार किया गया है तो तो वहीं दूसरी तरफ उसे शासन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, एवं सम्पत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। यद्यपि कि इन अधिकारों से वंचित होते हुए भी नारी को समाज एवं परिवार में विशेष दर्जा प्राप्त था अर्थात् गृहस्थ आश्रम में बिना और इस विवाह के प्रवेश किसी पुरुष को प्रवेश नहीं था आश्रम को प्रत्येक धार्मिक क्रिया पत्नी के साथ ही सम्पन्न की जा सकती थी। साथ ही विश्व की लगभग सभी प्रारम्भिक सभ्यताओं में समाज मातृसत्तात्मक था। कृषि के विकास, युद्ध आदि के प्रचलन के साथ शारीरिक श्रम का महत्व बढ़ा तथा पुरुष प्रधानता अथवा पितृसत्तात्मक समाज का विकास हुआ और स्त्रियाँ घर की चार दीवारी में कैद हुई और धीरे–धीरे उनका समाज में स्थान एवं महत्व पुरुषों की तुलना में कम होता गया।

मुख्य शब्दः प्राचीन कालीन समाज, नारी, बुद्धकाल, गुप्तकाल राजपूतकाल, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक।

प्रस्तावना

विश्व की लगभग सभी प्राचीनतम सभ्यताओं, (भारत की सिन्धु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता) में सामाजिक स्तर पर मातृसत्ता का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें स्त्री केन्द्रीय भूमिका में होती थी वंश परम्परा का आधार माता होती थी। मातृसत्ता का मुख्य कारण वे प्रमुख अधिकार हैं जो उन्हें प्राप्त थे जैसे–सम्पत्ति का अधिकार, राजनैतिक अधिकार व धार्मिक अधिकार। कालान्तरण में राजनैतिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण मातृसत्ता का भी स्थानान्तरण पितृसत्ता में हो गया जिसमें स्त्री को प्राप्त वे सभी अधिकार जैसे राजनैतिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार इत्यादि शनै–शनै कर समाप्त होते गए। पितृसत्तात्मक् समाज के प्रारम्भिक कालों को छोड़कर उत्तरोत्तर स्त्री दशा में गिरावट देखने को मिलती है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के लिए स्थापित मानदण्डों पर खरा उतना ही उसके अस्तित्व का पूरक बन गया तथा कभी सामाजिक रूप से उच्चतम स्तर पर विराजमान स्त्री सबसे निचले स्तर पर स्थापित हो गयी। पितृसत्तात्मक् व्यवस्था में धार्मिक व सामाजिक नियमों व रुढ़िवादी परम्पराओं ने पुरुष को अधिक ताकतवर बनाया व इस व्यवस्था में स्त्री पति की सेविका व दासी व सम्पत्ति तुल्य हो गयी। भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पितृसत्तात्मक् व्यवस्था का प्रारम्भ वैदिक काल से माना जाता है। वैदिककाल के विभिन्न ग्रन्थों में तात्कालीन् काल में स्त्री दशा का आकलन किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्री को शिक्षा का अधिकार तो था तो वहीं सम्पत्ति के अधिकार से वंचित किया गया। ब्राह्मण ग्रन्थों में स्त्री को पुरुष की अपेक्षा दुर्बल व भावुक मस्तिष्क का बताया गया तो सूत्र साहित्य में ज्ञात होता है कि उस काल में स्त्री को स्वतंत्रता के योग्य भी नही माना गया स्त्री को बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति तो वृद्धावस्था में पुत्र द्वारा रक्षित बताया गया है। मनु के अनुसार–पति के दुराचारी अथवा चरित्रहीन होने की दशा में भी पत्नी का कर्तव्य है कि वह देवता के समान उसकी पूजा करें। कभी स्त्रियों की जीवन व अधिकारों के लिए स्थापित नियोग प्रथा व पुर्नविवाह जैसी प्रथाओं का स्थान संन्यास व सती प्रथा ने ले लिया जिन्हें स्त्रियों के लिए महान् धार्मिक यज्ञ बताया गया। पर्दा प्रथा व बाल विवाह जैसे नियमों ने उसके सार्वजनिक जीवन को समाप्त कर उसको घर के भीतर

*Corresponding Author: रीता दयाल

सीमित कर दिया। धर्म के नाम पर कुछ देशों में प्रचलित देवदासी प्रथा स्त्री के देह शोषण का एक प्रमुख कारण बन गयी। कालान्तर में स्त्री पुरुष की सम्पत्ति के रूप में स्थान पाती है व वर्ण पोषक समाज में शूद्र के साथ दोयम दर्जे अथवा वंचित वर्ग में स्थान पाती है। महाभारत के अनुसार जब मनु को राजपद सौंपा गया तो मनु ने उसे इस शर्त पर स्वीकार किया कि लोग उन्हें स्त्री और सम्पत्ति दें। अर्थात् यहाँ स्त्री व सम्पत्ति एक समान है। गीता जैसे ग्रन्थों में भी स्त्री और शूद्र को एक ही श्रेणी में रखा गया है। कृष्ण कहते है– ''हे पार्थ वे भी जो पापयोनि है मेरी शरण में आकर परमगति को प्राप्त करते हैं''। गीता में स्त्री व शूद्र को पापयोनि बताने से उनके प्रति तत्कालीन समाज में घृणा का बोध होता है।

अतः ऐतिहासिक काल में हम पाते हैं कि कभी समाज के उच्चतम् स्तर पर स्थापित स्त्री धीरे–धीरे पुरुष प्रधान समाज के विभिन्न मानदण्डों से गुजरती हुई समाज के निम्नतर स्तर पर स्थापित हो गयी यद्यपि आधुनिक काल में उसके पुनरुत्थान के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु सामाजिक स्तर पर आज भी उसे दोयम दर्जा ही प्राप्त है जिससे बाहर निकलने के लिए स्त्री को स्वयं को आगे रखकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी।

वैदिक कालीन समाज में नारी कि स्थिति

वैदिक कालीन समाज में नारी को मान सम्मान दिया जाता था। यज्ञों में पति के साथ उसका होना अनिवार्य था। परिवार में साधारणतः एक पत्नीत्व प्रथा प्रचलित थी। नारी को शिक्षा ग्रहण करणे का अधिकार था। नारी स्वयं अपने विवाह हेतु वर का चयन कर सकती थी।

वैदिक कालीन समाज में नारी कि स्थिति अच्छी थी। उन्हे पर्याप्त स्वतंत्रता थी। पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन नारी को राजनीति में भाग लेने का तथा संपत्ती में अधिकार प्राप्त नहीं थे।

प्राग्मोर्ययुगीन समाज में नारी की स्थिति

बौद्ध साहित्य में नारी कि स्थिति का जो वर्णन मिलता है उससे स्पष्ट होता है की वैदिक कालीन समाज की तुलना में इस समय नारी कि स्थिति खराब हो गई थी। नारी के शैक्षणिक अधिकारो में कमी आ गयी थी, यद्यपि समाज में कुछ नारियाँ विदुषी भी होती थी।

समाज में देह व्यापार करने वाली नारी का आदरपूर्वक स्थान था। वैशाली राज्य की वेश्या आम्रपाली को भगवान बुद्ध ने स्वयं दीक्षित किया तथा आम्र वाटिका दान कर दिया था। इस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन समाज कि कुलीन नारियो में दिखाई देता है।

मौर्यकालीन समाज में नारी कि स्थिति

मौर्यकालीन समाज में संयुक्त परिवार कि प्रथा का प्रचलन था। नारी को तलाक लेने का अधिकार था। नारी स्वयं भी तलाक ले सकती थी। पति की मृत्यु हो जाने पर नारी अपना पुनर्विवाह करने के लिये स्वंतत्र थी।

समाज में कुछ नारियों को राजा की अंग रक्षिका भी नियुक्त किया जाता था। समाज में कुछ प्रमाण में पर्दा प्रथा भी प्रचलन में थी। समाज में गणिका नारियों का भी उल्लेख मिलता है। इस वर्ग कि नारियों में अभिनेत्री, नर्तकी, गायिका आदि सम्मिलित थी। मौर्यकालीन समाज में नारी कि स्थिति अच्छी दिखाई देती है।

गुप्त कालीन समाज में नारी कि स्थिति

गुप्तकालीन साहित्य में दी गई जानकारी से पता चलता है कि, समाज में नारी को प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है। नारी को वेदो के अध्ययन् का अधिकार नहीं था। लेकिन पुराण तथा कृष्णभक्ती करने का अधिकार दिया गया था। उन्हे कुछ प्रमाण में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था।

समाज में विधवाओ कि स्थिति अच्छी नही थी तथा उन्हे कठोर साधना का जीवन बिताना पडता था। इस समय के युग में नारी का विवाह सामान्यतः बाल आयु में करने का प्रचलन था। नारी के उपनयन संस्कार बंद हो गये थे नारी को सती हो जाना पड़ता था। इससे प्रतीत होता है की, गुप्त कालीन समाज में नारी के लिये सती प्रथा का प्रचलन आरंभ हुआ। नारी को पर्दाप्रथा से मुक्त किया गया था। नारी स्वतंत्रापूर्वक विचरण कर सकती थी नारी को सम्पत्ति का अधिकार दिया गया था पुत्र के अभाव में पति कि सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार होता था।

गुप्तत्तोर कालीन समाज में नारी कि स्थिति

इस काल में गुप्तकाल कि तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। स्त्रियों कि गिरती हुई स्थिति के कई कारण थे। इस समय विवाह की उम्र बहुत कम हो गई थी, इस काल के स्मृति तथा धर्म ग्रंथो के अनुसार स्त्री का विवाह ८ से १० वर्ष की आयु तक हो जाना अनिवार्य था। आदर्श विवाह आठ वर्ष का माना जाता था। आठ वर्ष कि लड़की को ''गौरी'' कहा जाता था। दस वर्ष की लड़की को ''कन्या'' कहा जाता था। अधिक से अधिक कन्यावस्था में लड़की का विवाह हो जाना चाहिये ऐसा माना जाता था। बाल विवाह का स्त्रियों कि शिक्षा पर भी असर पड़ा। सिर्फ राजघरानें उच्चाधिकारियों और समृद्ध वैश्य परिवारों कि स्त्रियाँ ही शिक्षित होती थी।

राजपूत कालीन समाज में नारी कि स्थिति

राजपूत कालीन साहित्य सें ज्ञात होता है कि पुत्री की स्थिति पुत्र कि अपेक्षा बहुत गिर गई थी। इस काल में लड़कियों कि शिक्षा राज परिवारों तक सीमित थी। उन्हें प्रायः संगीत, नृत्य, चित्रकला व साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। राज परिवारों की कन्याओं को अस्त्र–शस्त्र व घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में समाज में पर्दा प्रथा विद्यमान थी। इस काल में भी विधवा स्त्रियों की स्थिति अत्यंत सोचनीय थी। उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिये जाते थे। समाज में सती प्रथा का प्रचलन भी जोरो पर था, किंतु यह प्रथा राज–परिवारों तक ही सीमित थी। सती प्रथा के अतिरिक्त बाल हत्या का भी प्रचलन था। राजपूतकाल में जौहर की प्रथा का भी

प्रचलन था। यद्यपि राजपूत काल के प्रारंभ में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था, किंतु इस युग की समाप्ति तक स्थिति में परिवर्तन हो गया था। स्त्रियों कि स्थिति बारहवीं शताब्दी में अत्यधिक सोचनीय थी व उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा था।

निष्कर्ष

वैदिक कालीन समाज में नारी कि स्थिति अच्छी दिखाई देती है। बुद्धकालीन समाज में नारियों को संघ में प्रवेश मिलना आरंभ हुआ दिखाई देता है। गणिकाओं को भी समाज में अच्छा स्थान था। मौर्य कालीन समाज में नारी को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। पुनर्विवाह करने का अधिकार प्रदान किया दिखाई देता है। गुप्तकालीन समाज में नारियों को सम्पत्ति मे बहुत ज्यादा अधिकार प्रदान किये दिखाई देते है गुप्तोत्तर कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई दिखाई देती है, राजपूत कालीन समाज में कन्याओं की बलि देने की प्रथा प्रारम्भ हुई दिखाई देती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. श्रीवास्तव कें. सी., प्राचीन भारत का इतिहास, युनाईटेड बुक डीपो, अलाहाबाद, २००६, पृ. क्र. ८८
2. वही, पृ. क्र. ८६
3. पाण्डेय विमलचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास (२५० ई.–१२००ई), एस0चन्द एन्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, २००३, पृ. क्र. ४२७
4. वही, पृ0 क्र0 ४२७
5. सिंह विनयकुमार, भारतीय इतिहास, यूनिक पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ0 क्र0 १६ वही, पृ0 क्र0 १७
6. सम्पादक मंडल, प्रतियोगिता साहित्य सिरीज, इतिहास विश्व एवं भारत, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 क्र0 ४६
7. वही, पृ. क्र. ५०
8. शर्मा रामशरण, प्रारंभिक भारत का परिचय, ओरीयंट ब्ल्यैकस्वॉन प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद, २०१८, पृ0 क्र0 २४७
9. थापर रोमिला, भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, पटना, २००८, पृ0 क्र0 १३८
10. झा एवं श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, २००४, पृ0 क्र0 ३८१
11. सम्पादक मंडल, प्रतियोगिता साहित्य सिरीज, इतिहास विश्व एवं भारत, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 क्र0 ७३।